(26)

(133) रीवा कैम्प

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, कैम्प रीवा, (म.प्र.)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

R-180-III/2012

दुखीलाल पिता जगन्नाथ वैस, उम्री 66 वर्ष, निवासी ग्राम डगा एवं कनई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. ठाकुर प्रसाद तनय सरजो राम वैस,
2. रामायण पिता सरजो राम वैस,
3. गुजरतिया पत्नी सरजो राम वैस,
4. सीताराम पिता जगदीश वैस,
5. धिरजुआ उर्फ धिरजिया पत्नी जगदीश वैस,
6. रामलल्लू पिता रामकरन वैस,
7. मनीराम पिता रामकरन वैस,
8. रामबली पिता शिवकरण वैस,
9. कितबिया पत्नी शिवकरण वैस,

सभी निवासी ग्राम डगा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

.... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 304 / निग. / 2009–10 आदेश दिनांक 12.01.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 ई.

मान्यवर,

:: निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है ::

1. यह कि मूल पुरुष केशव प्रसाद के तीन पुत्र क्रमशः जगन्नाथ, छोटकऊ, सरजो। छोटकऊ एवं सरजो केशव प्रसाद के जीवनकाल में ही अपना

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–180-III / 12** जिला–सिंगरौली

दुखीलाल वैश्य / ठाकुर प्रसाद वैश्य वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 304 / निग0 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	